

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

भारत सरकार

कौशल भवन, नई दिल्ली

भाग-बी (बिल अनुभाग में भरा जाना है)

1. यात्रा भत्ते के कार्य वास्ते शुद्ध हकदारी के अनुरूप रुपये.....

निम्नानुसार

बनता है ।

(क) रेलवे/एयर/बस/स्टीमर भाड़ा रु0

(ख) रोड माइलेज

भोजन के बिल =

आवास =

(ग) दैनिक भत्ता

(1) @ दिन

(2) @ दिन रु0...../= प्रति दिन

= रु0

(घ) वास्तविक खर्च

रु0.....

कुल राशि

रु0.....

(ड.) यात्रा भत्ता अग्रिम से राशि की कटौती, यदि कोई है, जिसे बाउचर सं0..... दिनांक द्वारा प्राप्त की गई हो ।

2. व्यय जमा करने में समर्थ है ।

आहरण एवं संवितरण

अधिकारी के हस्ताक्षर

बिल लिपिक का आधाक्षर (Initial)

प्रतिहस्ताक्षरित

नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर
